दिनेश कुमार, आई.ए.एस.

अध्यक्ष, विद्युत वितरण कम्पनीज
एवं राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड
विद्युत भवन, जनपथ, जयपुर–302 005

क्र. जे.पी.डी./अति.मु.अ.(पी.पी.एम)/अधी.अभि.(आर.ई)/अधि.अभि.(II)/प. /प्रे. 114 दि 10/6/2021

आदेश

कृषि कनेक्शन नीति–2017 के बिन्दु संख्या 11.1 में यह प्रावधान है कि कृषि कनेक्शन जारी करने के लिए सामान की ढुलाई का कार्य आवेदक द्वारा ही किया जावेगा।

क्षेत्राधिकारियों द्वारा इस संबंध में यह अवगत करवाया गया है कि किसानों द्वारा कृषि कनेक्शन हेतु आवश्यक सामान की ढुलाई कार्य नहीं किया जा रहा है। इस कारण से कृषि कनेक्शन जारी करने में विलंब हो रहा है। इस संदर्भ में पूर्व आदेश दिनांक 30.11.2012 (आर.ई.ओ. 234) के अनुसार कृंषि कनेक्शन के लिये जरूरी सामान ढुलाई का कार्य निगम द्वारा करने पर मांग पत्र में 1500 रू. अतिरिक्त चार्ज करने का प्रावधान था।

अतः इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि कृषि आवेदक को संलग्न प्रारूप के अनुसार सात दिन का नोटिस जारी किया जावे, आवेदक द्वारा सात दिन में भी सामान की ढुलाई नहीं किये जाने पर अथवा नोटिस का जवाब नहीं दिये जाने पर कृषि कनेक्शन हेतु आवश्यक सामान की ढुलाई का कार्य निगम द्वारा किया जावेगा। पूर्व में जारी आदेश के अनुसार कृषि कनेक्शन सामान की ढुलाई के मद में किसान से रू 1500/– जारी कनेक्शन के प्रथम विद्युत बिल में जोड़ कर वसूले जावेंगें। इस राशि का राज्य सरकार द्वारा देय किसी भी प्रकार की अनुदान राशि के विरूद्ध समायोजन नहीं किया जावेगा।

इस संबंध में यह भी स्पष्ट किया जाता है कि कृषि कनेक्शन हेतु सामान के परिवहन का कार्य उसी संविदाकार द्वारा किया जावेगा जो कि कृषि कनेक्शन हेतु लाइन खड़ी करने का कार्य कर रहा है तथा एक समय पर 5 कृषि कनेक्शनों से ज्यादा का सामान संविदाकार को जारी नहीं किया जाये। कृषि कनेक्शन कनिष्ठ अभियंता की उपस्थिति में जारी किया जावेगा एवं कृषि कनेक्शन नीति–2017 एवं इसके बाद जारी होने वाले आर.ई. आदेशों की सख्ती से पालना की जावेगी।

उक्त आदेश 31 अगस्त 2021 तक लागू रहेगा।

09/6
(दिनेश कुमार)
अध्यक्ष, डिस्कॉम्स

Tel. : +91-141-2744965 (O) • Fax : +91-141-2744187 • e-mail : chairmandiscoms@rajasthan.gov.in

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव ऊर्जा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ठ सहायक ,माननीय उर्जा मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. श्रीमान् प्रबन्ध निदेशक, जयपुर / अजमेर / जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर / अजमेर / जोधपुर।
4. श्रीमान् निदेशक (तकनीकी / वित्त) जयपुर / अजमेर / जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर / अजमेर / जोधपुर।
5. श्रीमान् सम्भागीय मुख्य अभियन्ता (जयपुर / भरतपुर / कोटा) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर / भरतपुर / कोटा।
6. अधीक्षण अभियन्ता (पवस / जे.सी.सी / जेपीडीसी / एम.आई.एस. / प्लान / विधि / आई.टी) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि.।
7. अधीक्षण अभियन्ता (प्लान / पीपीएण्डएम)अजमेर / जोधपुर डिस्कॉम अजमेर / जोधपुर।
8. प्रावैधिक सहायक, प्रबन्ध निदेशक, जयपुर / अजमेर / जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर / अजमेर / जोधपुर।
9. प्रावैधिक सहायक, अध्यक्ष डिस्कॉम्स, जयपुर।
10. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सतर्कता), जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. (रामबाग सर्किल), जयपुर।
11. मुख्य नियंत्रक लेखाधिकारी, जयपुर / अजमेर / जोधपुर विद्युत वितरण निगम लि., जयपुर / अजमेर / जोधपुर को आदेशानुसार बिलिंग प्रणाली में आवश्यक व्यवस्था करने हेतु।
12. मुख्य / वरिष्ठ लेखाधिकारी (   ) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
13. अधिशाषी अभियन्ता (पवस / ग्रिवीन्सेज) जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
14. विशिष्ठ सहायक सलाहकार (एम), मुख्यमंत्री सचिवालय राजस्थान सरकार, जयपुर।
15. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विद्युत वितरण निगम लि. जयपुर।
16. निजी सहायक, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर को सूचनार्थ।

9/06/2021

अति. मुख्य अभियन्ता (पीपीएम)
जयपुर डिस्कॉम, जयपुर

<u>नोटिस का प्रारूप</u>

<u>रजिस्टर्ड ए.डी.</u>

कार्यालय सहायक अभियंता,(पवस),.................
जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड,.......

क्रमांकः पत्रांक : प्रे.   दिनांकः–

श्री / श्रीमती.................................
गांव / पंचायत समिति..................
जिला...

विषयः– कृषि कनेक्शन हेतु सामान की ढुलाई के संबंध में।

प्रिय आवेदक,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपको सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा कृषि कनेक्शन हेतु दिनांक .... को आवेदन किया था जिसका मांग पत्र आपको पत्र क्रमांक.................. दिनांक.................द्वारा जारी किया गया है आपके द्वारा डिमाण्ड राशि दिनांक..................को जमा करवा दी गई है। कृषि कनेक्शन नीति के अनुसार कनेक्शन हेतु लाइन व सब–स्टेशन के सामान को इस कार्यालय से प्राप्त कर आपके नलकूप तक ले जाने का उतरदायित्व आपका है। परन्तु आपने अभी तक सामान नहीं लिया है। अतः आपको सूचित किया जाता है कि सहायक अभियंता कार्यालय के स्टोर से नलकूप तक कृषि कनेक्शन हेतु सामान की ढुलाई का कार्य नोटिस जारी करने की दिनांक से 7 दिवस में कर लेवें, अन्यथा उक्त सामान की ढुलाई का कार्य निगम द्वारा अपने स्तर पर किया जावेगा। इस मद में आपसे रू. 1500 / – जारी कृषि कनेक्शन के प्रथम विद्युत बिल में जोड़कर वसूले जावेंगें। इस राशि का राज्य सरकार द्वारा देय किसी भी प्रकार की अनुदान राशि के विरूद्ध समायोजन नहीं किया जावेगा।

सूचित रहे।

सहायक अभियंता,(पवस),
जयपुर डिस्कॉम, ...